मतदाता सूची सात फरवरी को आएगी

पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम को संशोधित कर दिया है। अब मतदाता सत्यापन की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 30 नवंबर कर दिया गया है।

इस अविध तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, प्रविष्टियों में सुधार अथवा दोहरी प्रविष्टियों के संबंध में प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई होगी। इन सभी का निष्पादन करते हुए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। फिर 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास का कहना है कि अगले साल बिहार में प्रस्तावित विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची को पूरी शुद्धता से तैयार कराना हमारी प्राथमिकता है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।